

फर्द अहकाम



(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - हरनेवु सिंट आदि बनाम शेरीस कन अदि ३ रि पीसिका आदि

किस्म मुकदमा :- 212 RTA

प्रकरण सं. :- 210/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24/03/25	<p>आज यह फर्द वाली प्रकीर्ण प्रमाण प्रस्तुत करे पर पेची में ली गरी प्रकीर्ण हरा प्रकीर्ण कापिस लेने का रिपोर्ट डिमा प्रकीर्ण हरा प्रमाण विज्ञा करे कि यह प्रमाण ही नही पर किर्ण करे का आदेश रिमा पला है रिमा 22.08.24 को जरी टी.आई. निरस्त डिमा जाता है नंबर से करे</p> <p style="text-align: center;">आदेश हुआ गभा</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) </p>	<p>हरनेवु सिंट</p> <p>प्रीसिका</p> <p>गोपे ३ हुमा</p> <p style="text-align: right;">  GCMS 2024/490 </p>

